लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
प्रथम तल, खण्ड–सी, इन्द्रावती भवन, अटल नगर
फोन नम्बर– 0771–2331385, फैक्स नम्बर–0771–2445215, Email Id–cg.dpi.dir@gmail.com

क्र./शि./सी.भ./2023/ 454 नवा रायपुर, दिनांक 03/10/2023

:: *प्रेस विज्ञप्ति* ::

सहायक शिक्षक भर्ती की प्रकिया में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जा रहा है। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट में रैंक तथा उपलब्ध पदों के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं। आरक्षण नियमों के अनुसार अनारक्षित संवर्ग में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को मेरिट में उनके रैंक अनुसार नियुक्ति दी जाती है। अन्य संवर्गो में केवल संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की मेरिट में रैंक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से उपर है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति की पात्रता होती है। नियुक्तियों की कार्यवाही शीघ्र करने के लिए उपलब्ध पदों से अधिक अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। इस कारण सामान्य श्रेणी के कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनकी रैंक अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की रैंक से नीचे थी, उन्हें अनारक्षित संवर्ग में नियुक्ति नहीं मिल पाई है, क्योंकि अनारक्षित संवर्ग के पद भर गये हैं। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अनारक्षित संवर्ग में नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से उपर की रैंक वाला किसी भी श्रेणी का कोई भी अभ्यर्थी नहीं छूटा है। अनारक्षित संवर्ग में नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की अंतिम रैंक 2005 है। यदि इस रैंक से उपर वाला कोई अभ्यर्थी नियुक्ति से छूटा है एवं दस्तावेज सत्यापन में उसे पात्र पाया गया है, तो ऐसा व्यक्ति संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय